

Vol. 7, Issue 4, January 2018

ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors

Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors

Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra



“सिवनी जिले के जनजातीय परिवारों में व्यवसायिक परिवर्तन का अध्ययन”

डॉ. अभिताप शर्मा

वाणिज्य विभाग शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी (म.प्र.)

सारांश:

प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के जनजातीय परिवारों में व्यवसायिक परिवर्तन के अध्ययन पर आधारित है। जंगल, प्रकृति की अमूल्य निधि प्राकृतिक सम्पदा है। वहाँ विचरण करने वाली जनजातियाँ हैं, ये प्रकृति के सच्चे उपासक हैं, ये प्रकृति की गोद में,



प्रकृति के प्रति असीम आस्था का विश्वास का स्वरूप, जगह-जगह दिखाई पड़ता है। जिला सिवनी जो महाकौशल का अभिन्न अंग है। मध्यप्रदेश के विकास में आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था का अत्याधिक महत्व है। प्रदेश का विकास इन्हीं जनजातियों के आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर है।

जनजाति विकास हेतु प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बजट का एक बड़ा जाना व्यय किया जा रहा है। परियोजनाओं का लाभ आदिवासियों को पहुँच रहा है या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। शोध का विषय क्षेत्र की आवश्यकता आर्थिक माप के अनुरूप है आर्थिक अनुसंधान हेतु कुछ ऐसे सूचको जो कि आदिवासी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं की पहचान आवश्यक है आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में समयवद्ध समंको की अपरिहार्यता होते हुए भी उपलब्ध न हो सकने के फलस्वरूप पृथक जनजातियों के तुलनात्मक अध्ययन कर परिवर्तन की वस्तुस्थिति एवं प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की गई है। आदिवासी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में उनके व्यवसायिक स्वरूप, कृषि संरचना, सम्पत्ति का स्वरूप आय संरचना उपभोग स्वरूप ऋणग्रस्तता आदि आर्थिक कारकों को विवेचित किया गया है। आदिवासी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारकों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक भिन्नतायें, न्यादर्श जनजातियों की चारित्रिक विशेषतायें अंधविश्वास संपर्क के फलस्वरूप उनके धार्मिक मूल्यों का बदलता स्वरूप राजनैतिक जागरूकता एवं शिक्षा का स्तर, अन्तर्जातीय भिन्नताओं के महत्वपूर्ण कारक हैं इन कारकों का गहन अध्ययन (तथ्यों सहित) प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द :-जनजातीय विकास कार्यक्रम, आर्थिक परिवर्तन, सिवनी मध्यप्रदेश।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के विकास में आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था का अत्याधिक महत्व है। प्रदेश का विकास इन्हीं जनजातियों के आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर है। जनजाति विकास हेतु प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बजट का एक बड़ा जाना व्यय किया जा रहा है। परियोजनाओं का लाभ आदिवासियों को पहुँच रहा है या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है।

आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक एवं भूगर्भीय अध्ययन से स्पष्टतः यह तथ्य सामने आये हैं कि ये क्षेत्र खनिज सम्पदा और जल विद्युत की असीम संभावनाओं से पूर्ण हैं। आदिवासी विकास की योजना बनाते समय हमेशा यह

प्रश्न विचारणीय रहा है कि आदिवासियों के सामाजिक परिवेश को बिना बदले उस समाज को किस प्रकार लाभ पहुंचाये जायें। जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से औद्योगिक केन्द्र, शिक्षा का प्रसार, बैंकों की स्थापना, कृषि क्षेत्रों का विकास स्वरोजगार योजना तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी आदिवासी समाज को प्राथमिकताएं दी जा रही है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर, संभाग, जिला तथा तहसील व खण्ड स्तर पर विभिन्न विकास संस्थाएं आदिम जाति क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं किंतु हमें यह जानना आवश्यक हो गया है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ इस समाज तक कैसे पहुंच रहा है।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज के लागू होने के पश्चात् आदिवासी समाज के जीवन स्तर में जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उनकी दशा और दिशा का अध्ययन आवश्यक है। यह सर्व विदित है कि आदिवासियों का जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों से होता है जो मानसून पर निर्भर है एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि उपजाऊ भूमि का अभाव है और सिंचाई सुविधाएं भी नगण्य हैं अर्थात् जनजाति क्षेत्रों की भौगोलिक, आंचलिक, सामाजिक और संस्कृति भिन्नताओं का प्रभाव जनजाति समाज की आर्थिक विषमताओं पर रहा है। कुछ जनजातियां अन्य की तुलना में तीव्र गति से आर्थिक प्रगति कर रही है और उनका जीवन ढांचा बदल रहा है उनके पीछे क्या कारण हैं यह जानना आदिवासी समाज एवं प्रदेश के हित में होगा। कुछ जनजातियों के अधिक गतिशील होने और कुछ के अधिक पिछड़े होने के कौन से कारण हैं। इसकी जांच करना मेरी शोध की महत्ता को प्रदर्शित करती है।

अविकसित समाज के विकास में बाधक तत्वों पर विवाद वर्षों से चल रहा है आर्थिक विषमता की मूल समस्या से परिचित होने के लिये अपनी विरासत में मिले सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अध्ययन चाहे वह कितने ही अंतरंग रूप से क्यों न किया जाये, इस तथ्य का कारण परिणम विवेचना के माध्यम से व्याख्या नहीं कर सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय असमानता के तथ्यों का जन्म कैसे हुआ और आर्थिक असमानता की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में क्यों है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन तो वास्तव में कभी भी इस दृष्टि से नहीं किया गया कि आर्थिक पिछड़ेपन और आर्थिक विकास प्रक्रिया की वास्तविकताओं को समझा बुझा जा सके।

यदि हमें प्रतुतियों में होने वाले परिवर्तनों का दीर्घकालीन अध्ययन करना हो या समूहों और देशों के बीच पाये जाने वाले भेदों के कारण मालूम करने हो तो अधिकतर वर्तमान काल के आर्थिक सिद्धांतों की सीमाओं से आगे जाना होगा। यद्यपि यह कहना असंगत नहीं होगा कि भिन्न कालों में आर्थिक विषमताओं के कारणों के विवेचना में जहां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक भिन्नताओं के कारणों के विवेचना में जहां भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक विकास के इतिहास की वैज्ञानिक विवेचनाओं के माध्यम से भिन्न तत्वों का अध्ययन किया गया वहीं आर्थिक विकास के इतिहास की वैज्ञानिक विवेचनाओं के माध्यम से भिन्न तत्वों को विश्लेषित किया गया।

वर्तमान शोध के उद्देश्य

वर्तमान शोध कार्य के अंतर्गत शोध समस्या के गहन अध्ययन एवं अवलोकन के परीक्षण के लिये शोधकर्ता ने निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

१. सिवनी जिले की आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था में हुए आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।
२. जनजातीय आर्थिक जीवन को विकासोन्मुख करने वाले प्रभावशाली कारकों की पहचान करना।
३. अंतर जनजातीय आर्थिक भिन्नताओं के कारणों का गहन अध्ययन करना।
४. आर्थिक विषमता दूर करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन की शिथिलता को समाप्त कर अनुसंधान कार्य को उद्दीप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है, इससे न केवल अनुसंधान कार्य में प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह अध्ययन की पद्धति के विकास में भी सहायक होगी, परिकल्पना प्रायोगिक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटी होने के साथ साथ संगठनात्मक शक्ति के रूप में भी होती है, जो कि किसी समस्या को सीमांकित करती है, इससे तर्कसंगत

संमकों का संकलन भी संभव होता है, परिकल्पना की रचना से न केवल घटना से संबंधित विशिष्ट चरों का पता चलता है, बल्कि उनके अध्ययन में उनके विशिष्ट साहचर्यात्मक संबंध का भी ज्ञान होता है। परिकल्पना वैज्ञानिक निष्कर्षों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ सिद्धांत की रचना व विवेचना में भी सहायक होती है। प्रस्तावित शोध को तथ्य परख एवं उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिये शोधकर्ता ने निम्नलिखित शोध परिकल्पना की है। जिनके परीक्षण का प्रयास किया जायेगा।

१. जनजातीय परिवारों के कृषि संरचना में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन भिन्न जनजातियों में समान नहीं है।
२. जनजातीय परिवारों में उनके पारम्परिक व्यवसाय स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन धनात्मक है।
३. आदिवासी परिवारों के आय स्तर एवं आय संरचना में परिवर्तन हुआ है। तथा उपभोग व्यय के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन सभी जनजातीय परिवारों में समान है।
४. आदिवासी परिवारों में ऋणग्रस्तता निरन्तर बढ़ी है।
५. जनजातीय परिवारों में सम्पत्तियों का वितरण आसमान है।
६. आदिवासी परिवारों की आर्थिक प्रगति में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।
७. सिवनी जिले में जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।
८. जनजातियों के कल्याण के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्नजनजातियों को प्रोत्साहित करने के लिये शासकीय नीतियां अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुई है।
९. जनजातीय परिवारों के आर्थिक परिवर्तन पर उनकी कार्य संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताएँ धनात्मक प्रभाव डालती है।

शोध प्रविधि

अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये शोध प्ररचना एवं शोध प्रक्रिया की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। शोध कार्य में सांख्यिकीय अध्ययन विश्व स्तर में मान्य पद्धति है। जिले के जनजातीय परिवारों में आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये सांख्यिकीय पद्धति का अनुसरण किया गया है, और अध्ययन कार्य में ज्यादातर प्राथमिक संमकों का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय अध्ययन हेतु सूचनाओं व संमकों का निम्नानुसार संकलन एवं विवेचना किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता को मुख्यतः प्राथमिक संमकों पर निर्भर रहना पड़ता है। जहां द्वितीयक संमकों की आवश्यकता महसूस की गई वहां उपलब्ध द्वितीयक संमकों का भी प्रयोग किया गया है। ये संमक कुछ वर्ष पुराने भी जिन्हें समय के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है।

तालिका 1 न्यादर्श ग्राम एवं जनजाति की अनुसूची

क्र०	न्यादर्श ग्राम	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	जनजाति जाति
1	जवना	भटेखारी	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
2	लुंगसा	लुंगसा	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
3	म्लंजपुर	जोरावारी	सिवनी	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
4	जावरकाठी	जावरकाठी	बरघाट	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
5	सर्रा	चिरचिरा	बरघाट	गोंड नगारची एवं ओझा
6	धोबीसर्रा	धोबीसर्रा	बरघाट	गोंड परधान, नगारची एवं ओझा
7	बेलपेट	बेलपेट	कुरई	गोंड परधान, नगारची एवं ओझा
8	सिंदरिया	दुटेरा	कुरई	गोंड परधान, एवं ओझा
9	अम्बाडी	संतोषा	कुरई	गोंड परधान, एवं ओझा
10	गेपेवानी	खुर्सीपार माल	केवलारी	गोंड परधान, एवं ओझा
11	स्नवारी	बिछुआ रैयत	केवलारी	गोंड नगारची, एवं ओझा
12	पेपरदोन	झोला	केवलारी	गोंड नगारची, एवं ओझा
13	मसूरभासरी	पायली कोडिया	छपारा	गोंड नगारची, एवं ओझा
14	बसला	रामगढ	छपारा	गोंड नगारची, एवं राजगोंड
15	सूखामाल	मुडरई	छपारा	गोंड नगारची, एवं राजगोंड
16	कोसमघाट	पाथरकाठी	लखनादौन	गोंड नगारची, एवं राजगोंड
17	बेबी	बीबी	लखनादौन	गोंड एवं राजगोंड
18	खापा	औरापानी	लखनादौन	गोंड एवं राजगोंड
19	टमोदा	खमरिया बाजार	घंसौर	गोंड एवं राजगोंड
20	भालीवाडा	भालीवाडा	घंसौर	गोंड राजगोंड एवं ओझा
21	जमुनिया	डुंगरिया	घंसौर	गोंड राजगोंड एवं ओझा
22	सुजालपार	मठदेवरी	धनौरा	गोंड राजगोंड एवं ओझा
23	खिरखिरी	सर्रा	धनौरा	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा
24	धदवारा	साजपानी	धनौरा	गोंड, परधान, नगारची एवं ओझा

अध्ययन का क्षेत्र

अनुसंधान का क्षेत्र. मध्य प्रदेश राज्य का संपूर्ण सिवनी जिला हैं चूंकि सिवनी जिला मध्यप्रदेश की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिले का आर्थिक विकास मूलतः जिले के आदिवासी समाज के आर्थिक विकास पर निर्भर है। जिले में भिन्न जनजातियों उपजाति के साथ निवास करती है। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी अत्याधिक विषमतायें रखती है।

न्यादर्श ग्राम एवं परिवारों का चयन

वर्तमान शोध का क्षेत्र. संपूर्ण सिवनी जिला है जिले में कुल ८ विकास खण्ड हैं जिनमें से कुल २४ न्यादर्श परिवारों चयन किया है। न्यादर्श ग्रामों का चयन करते समय आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या के आंकड़ों को आधार माना गया है। न्यादर्श ग्रामों का चयन करते समय प्रत्येक विकासखण्ड के तीन तीन ग्रामों का चयन किया गया है। जिसकी ग्राम अनुसूची निम्न तालिका मे प्रदर्शित की गई है।

न्यादर्श परिवारों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। कि भिन्न भिन्न जनजातियों को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अतः इन ग्रामों में निवास करने वाले भिन्न जनजातियों के परिवारों का चयन निम्न आधार पर किया गया है।

तालिका 2 न्यादर्श ग्रामों के चुने गये न्यादर्श परिवार की संख्या

जनसंख्या	श्रेणी ग्राम	न्यादर्श परिवार
30 परिवार से अधिक	प्रथम	20 परिवार
20 परिवार से अधिक 30 से कम	द्वितीय	12परिवार
10 परिवार से अधिक 20 से कम	तृतीय	8 परिवार
कुल		40परिवार

इस प्रकार अध्ययन हेतु जिले की पांच भिन्न जनजातियों के २४ न्यादर्श ग्रामों के कुल २०० परिवारों का अनुसूची के माध्यम से न्यादर्श सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त संमकों का सम्पादन वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर उचित सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किये गये है।

सिवनी जिले का आर्थिक सामाजिक एवं भौगोलिक परिदृश्य

जिला सिवनी वर्तमान स्वरूप में 9 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश के पुर्नगठन के समय स्थापित हुआ था। इससे पूर्व सिवनी को ब्रिटिश शासन काल में सन् 1839 में छिंदवाडा जिले की एक तहसील के रूप में मान्यता दी गई थी सिवनी जिले के नामकरण के संबंध में दो धारणाएँ प्रचलित हैं। प्रथम धारणा के अनुसार जिले का यह नाम सेवन वृक्षों की अधिकता के कारण पडा है तथा दूसरी धारणा के अनुसार इस जिले का नाम आल्हा की पत्नी सोनारानी के नाम पर रखा गया है इसके अतिरिक्त धारणा है कि यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस कारण से इस जिले का नाम शिवपणी पडा है, हो सकता है वही नाम अपभ्रंश होते होते सिवनी के नाम से प्रचलित हो गया हो। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रशासनिक और राजनैतिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने उद्देश्य से राज्य पुर्नगठन हेतु एक पुर्नगठन आयोग स्थापित किया गया इसी आयोग में पुर्नगठित मध्यप्रदेश में सिवनी और लखनादौन तहसील को छिंदवाडा जिले से अलग करके जबलपुर संभाग के अंतर्गत एक पृथक जिले के रूप में मान्यता प्रदान की।

भौगोलिक परिचय

सिवनी जिला म.प्र. के दक्षिण पूर्व में स्थित है यह सतपुडा पठार पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ७ सिवनी नगर के मध्य से गुजरता है। यह जिला उत्तर में चौडा और दक्षिण में सकरा है। जिले का फैलाव २१.३६ अंश से २२.५७ अंश उत्तरी अक्षांश तथा ७६.१६ अंश से ८०.१७ अंश पूर्वी देशांश तक है। जिले की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग १३८ कि. मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक की चौडाई लगभग ६६ किलो मीटर है जिले का कुल क्षेत्रफल ८७५८ वर्ग किलोमीटर है इसकी सीमायें पश्चिम में छिंदवाडा उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर, उत्तर पूर्व में मंडला उत्तर में जबलपुर पूर्व में बालाघाट दक्षिण पूर्व में भंडारा (महाराष्ट) तथा दक्षिण में नागपुर (महाराष्ट) को स्पर्श करती है। इस प्रकार सिवनी जिला महाराष्ट और मध्य प्रदेश के मध्य संबंधों को सुचारु बनाने में सेतु जैसी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

तालिका 3: सिवनी जिला एक नजर में

(1) भौगोलिक परिचय

स्थापना	०१ नवम्बर १९५६
कुल क्षेत्रफल	८७५८ वर्ग कि०मी०
समुद्र सतह से ऊंचाई	६१६ मीटर
अक्षांश	२१.३६ से २२.५७
देशांत	७६.१६ से ८०.१७
सिवनी तहसील का क्षेत्रफल	४०७७१६ हेक्टेयर
लखनादौन -	३८२३३५ हेक्टेयर
केवलारी -	८१७१६ हेक्टेयर

(2) आर्थिक दृष्टि से

१.कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	४००५१०
कृषकों की संख्या	१५६१५४
खेतिहर मजदूरों की संख्या	८७७४०
सरकारी विभागों में कार्यरत	१२१५७
कर्मचारियों की संख्या	
२. गैर कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	३६२४२३
३. कुल लघु एवं कुटीर उद्योगों	२८३४
मध्यम श्रेणी के उद्योगों	०१
४.राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई	१६६ कि०मी०
प्रांतीय राजमार्ग -''-	३४० कि०मी०
अन्य सड़कों कि०मी०	४३५ कि०मी०
रेल मार्ग कि०मी०	१२१ कि०मी०
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	१०७७

अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों का परिचय

सिवनी जिला सतपुडा की घाटियों में ८७५८ वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग वनों द्वारा आच्छादित है। जिले में जनजातीय परिवार समूह के अंतर्गत विभिन्न समूह निवास करते हैं। किंतु उनमें प्रमुख गोंड जनजाति है। शेष समूह इस जाति की उप जातियां हैं। जिनमें परधान नगारची ओझा एवं राजगोंड सम्मिलित हैं जो कि जिले के लगभग सभी विकास खण्डों में निवास करते हैं।

विश्लेषण:

मानव के विकास के आरंभिक काल में आवश्यकतायें सीमित थीं। भोजन उसका प्रमुख उद्देश्य था। उसकी आर्थिक क्रियायें भोजन प्राप्ति तक ही सीमित थीं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहा है। मानव की निरन्तर विकास की प्रकृति के फलस्वरूप अपने आप को उन्नत करने हेतु आर्थिक क्रियाओं की गति को तीव्र करता रहा है। मानव बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न समूहों में विभाजित होकर आर्थिक अवसरों की खोज में संलग्न रहता है। कुछ समूह सापेक्ष रूप से उत्तम अवसरों को प्राप्त कर लेता है तथा उपयुक्त परिस्थिति के अनुकूल निरन्तर विकास करता रहता है।

आर्थिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास के प्रतिफलों को आने वाली पीढ़ी के लिये संचित करना विकास की मूल प्रवृत्ति नहीं, वहाँ अर्थव्यवस्था एक निश्चित क्रियाओं का प्रचलन रहता है। संचय की प्रवृत्ति नहीं, वहाँ अर्थव्यवस्था एक निश्चित चक्र में घूमती रहती है। मानव समाज के वे समूह जो कि कंद - मूल एवं शिकार पर आश्रित हैं, जिनकी संपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ इन्हीं पर केन्द्रित थीं जिसे न वह संजोकर रख सकता था न ही उसका उत्पादन ही बढ़ा सकने में सक्षम था। विकास के क्रम में वे समूह जो कि आर्थिक अवसरों की तलाश में कृषि के लिये उपयुक्त स्थान एवं उसके उत्पादन की प्रक्रिया में विशिष्टता प्राप्त कर सकने में सफल हो सके वे सापेक्ष रूप से तीव्र विकास कर सकें हैं। क्योंकि कृषि उत्पाद को संचय कर पुनः उत्पादन हेतु विनियोजित किया जा सकता है। यही कारण है कि आदिवासी समाज जिसका शिकार एवं खाद्य सामग्री संग्रहण ही भोजन प्राप्ति के साधन थे उन समाजों के जो कि कृषि को अपना सकें, कि तुलना में आर्थिक रूप से अत्यंत पीछे रहे।

आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता समाज के भिन्न आर्थिक स्तर का महत्वपूर्ण स्पष्ट होता है कि कुछ जनजातियों में व्यवसायान्तरण प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र की ओर प्रगति से हुआ जबकि कुछ जनजातियों का कृषक वर्ग से कृषि श्रमिक की ओर व्यवसायान्तरण परिलक्षित होता है।

1991 की जनगणना के आधार पर विभिन्न जनजातियों का व्यवसायिक स्वरूप

१९९१ की जनगणना के आधार पर जनजातीय समाज के व्यवसायिक स्वरूप का अध्ययन जनजातीय के आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता को स्पष्ट करता है। जो कि अंग्रकित तालिका द्वारा स्पष्ट है।

**तलिका (4) औद्योगिक वर्गों के आधार पर श्रमिकों का प्रतिशत वितरण
(1991 की जनगणना के आधार पर)**

	गोंड	परधान	नगारची	ओझा	राजगोंड	जिले की कुल आदिवासी जनसंख्या
(क) प्राथमिक क्षेत्र	६६.८६	६४.२	६५.४६	६६.५४	६७.११	६६.०३
(१) कृषक	५२.७२	५१.८	३४.८८	३२.११	५१.३४	४५.५८
(२) कृषि श्रमिक	३६.८८	४१.४४	५६.२१	६१.४६	४३.६१	४८.५८
(३) पशुपालन, वन, मत्स्य पालन	४.२६	०.६७	१.३७	२.६७	१.८६	२.२८
(ख) द्वितीयक क्षेत्र	१.७२	४.२०	२.६२	१.५४	०.५७	२.१६
(४) खाने	०.५८	०.७७	०.८७	०.२८	०.२८	०.५६
(५) उद्योग						
(अ)	०.२१	२.३७	०.७०	०.७६	८.८८	०.८०
(६) निर्माण	०.५४	०.१६	०.६८	०.०७	०.१६	०.३६
(स) तृतीयक क्षेत्र	१.४२	१.६०	१.६२	१.६२	२.२३	१.७५
(७) व्यापार एवं वाणिज्य	०.१८	०.३१	०.१६	०.३३	०.६३	०.३८
(८) परिवहन, भण्डारण तथा संचार	०.२६	०.२२	०.४७	०.६६	०.७६	०.४८
(९) अन्य सेवाएँ	०.६५	१.०७	०.६६	१.६०	०.५४	०.८६
	१००	१००	१००	१००	१००	१००

स्रोत- जनगणना समंक -आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप डी २४ साउथ एक्सटेंशन पार्ट १ न्यू दिल्ली।

निष्कर्ष-

जिले की जनजातियां ६६.०३ प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है जिसमें कृषक ४५.१७ प्रतिशत कृषि श्रमिक ४८.५८ प्रतिशत पशुपालन वन मत्स्य पालन २.२८ प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या में वितरित है २.१६ प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या द्वितीयक व्यवसाय में एवं १.७५ प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है जनजातीय समाज का कृषि प्रमुख व्यवसाय है। विभिन्न जनजातियों के व्यवसायिक स्वरूप के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न जनजातियों में भिन्न व्यवसायों के प्रतिशत वितरण में भिन्नता है।

प्राथमिक क्षेत्र में गोंड ओझा राजगोंड एवं नगारची जनजाति का लगभग समान परिवर्तन है। किंतु प्राथमिक क्षेत्र के भिन्न बिंदुओं के अध्ययन से असमानतायें स्पष्ट होती है। कृषक वर्ग में गोंड, जनजाति का ५२.७२ प्रतिशत राजगोंड जनजाति का ५१.३४ प्रतिशत, परधान जनजाति का ५१.८० प्रतिशत है वहीं नगारची जनजाति का स्थान अपेक्षाकृत निम्न हैं यदि कृषि श्रमिक वर्ग की तुलना की जाये तो ओझा जनजाति में इसका प्रतिशत ६१.४६ है जो अन्य जनजातियां की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं पशुपालन, वन एवं मत्स्य पालन पर जनजातियों की निर्भरता का प्रतिशत कम हुआ है। जिले की कुल जनजातियों का २.२८ प्रतिशत ही इस वर्ग में है किंतु विभिन्न जनजातियों में गोंड जनजाति में इसका प्रतिशत ४.२६ है जो कि सापेक्ष रूप से अन्य जनजातियों से अधिक हैं नगारची एवं परधान जनजाति में यह प्रतिशत क्रमशः १.३७ एवं .६७ है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गोंड परधान एवं राजगोंड समाज में कृषक का प्रतिशत अधिक हैं जबकि कृषि श्रमिकों का प्रतिशत ओझा एवं नगारची जनजातियों में तुलनात्मक रूप से अधिक है। गोंड जनजाति का पशुपालन वन मत्स्य पालन पर जीवन निर्वाह का ४.२६ प्रतिशत एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो कि उनके आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। द्वितीयक क्षेत्र में जिले के जनजातीय समाज का औसत २.१६ प्रतिशत है। किंतु विभिन्न जनजातियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परधान जनजाति का ४.२ प्रतिशत जनजाति का २.६२ प्रतिशत गोंड जनजाति का १.७२ प्रतिशत ओझा जनजाति का १.५४ प्रतिशत एवं राजगोंड जनजाति की ०.५७ प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या वितरित है द्वितीयक व्यवसायों में परधान जनजाति का स्थान सापेक्ष रूप से उच्च है। जिसके २.३७ प्रतिशत कार्यशील व्यक्ति कुटीर उद्योग में कार्यशील है। व्यापार एवं वाणिज्य इनका व्यवसाय नहीं है। जिसमें कुल जनसंख्या का ०.३८ प्रतिशत ही कार्यशील है। शासकीय सेवाओं में भी जनजातीय समाज का प्रतिशत भिन्न है जिसमें परधान जनजाति का स्थान श्रेष्ठ है।

संदर्भ ग्रन्थ -

१. अटल योगेश, डॉ. श्यामचरण दुबे (१९६५) आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

२. बोस, निर्मल कुमार - भारतीय आदिवासी जीवन, नेशनल बुक ट्रस्ट (इंडिया) नई दिल्ली
३. भल्ला, जी.एस. (१९७४) - चेंजिंग एग्रेरियल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मीनाक्षी प्रकाशन, दिल्ली,
४. छुबे बी.के.एफ.बहादुर (१९६१) - एस्टेडी आफ द ट्राइबल प्यूपिल एण्ड ट्राइबल एरिया ऑफ मध्यप्रदेश, गवर्नमेन्ट ऑफ म०प्र० इंदौर
५. दुबे श्यामाचरण (१९८०) - ट्राइबल एण्ड इंडियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स, मध्यप्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल।
६. दुबे श्यामाचरण (१९७५) - एक भारतीय ग्राम, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली,।
७. डब्ल्यू. अर्थर ल्यूईस (१९६२) - अर्थिक विकास के सिद्धांत राजकमल प्रकाशन दिल्ली,
८. डीमोगांवकर - एस.जी-प्राब्लम ऑफ डव्हलपमेन्ट आफ ट्राइबल एरिया, लीलादेव पब्लिकेशन, आंदन नगर, दिल्ली।
९. गांधी, मोहन दास करमचंद (१९२६) - यंग इंडिया, जून १७
१०. गुन्नार मिर्डल (१९८३) - एकानामिक थेवरी एण्ड अण्डर डवलपडरीजन म.प्र.हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, (हिन्दी रूपान्तरण)
११. गुन्नार मिर्डल (१९६८) - एशियन ड्रामा एलीन लेन द पेंजीन प्रेस
१२. गुन्नार मिर्डल - विश्व निर्धनता को चुनौती, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१३. डॉ. कौशिक एस.डी. (१९८१) - मानव तथा आर्थिक भूगोल, रस्तोंगी पब्लिकेशन मेरठ
१४. मिश्र, उमाशंकर प्रभातकुमार तिवारी (१९७५) - भारतीय आदिवासी उत्तर प्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
१५. मजूमदार, डी.एन. (१९५०) - ए ट्राइबल इन ट्रांजिशन



डॉ. अमिताप शर्मा

वाणिज्य विभाग शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी (म.प्र.)